स्वास्थ्य परीक्षण शिविर 21 दिसंबर, 2006 की रिर्पोट

उद्‌देश्य :–

चिंगारी ट्रस्ट ने यूनियन कार्बाइड के जहरों से पीड़ित परिवारों के जन्मजात विकलांग बच्चों के लिये स्थायी या प्रभावशाली इलाज/समाधान ढूढ़ने का काम शुरू किया है। यहां यह कहना जरूरी है कि यूनियन कार्बाइड के जहर गैस के साथ–साथ भूजल प्रदूषण की वजह से भी व्यक्तियों के शरीर में प्रविष्ठ हुआ है। गैस एवं भूजल प्रभावित बस्तियों में संपर्क के दौरान यह बात सामने आती है कि प्रभावित परिवारों के बच्चों के इलाज के लिये गैस राहत की अस्पतालों में समुचित व्यवस्था नहीं है। जन्मजात विकलांग बच्चों को सम्मानजनक या परिवार में सामंजस्य के साथ जीवन जीने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। इस हालात में चिंगारी ट्रस्ट ने जन्म से 12 वर्ष तक की उम्र के पैदाइशी विकलांग बच्चों में विकलांगता के कारण एवं इलाज जानने के लिये 21.12.06 को स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया।

विशेषज्ञों द्वारा परीक्षण :–

चिंगारी ट्रस्ट के आमंत्रण पर सेंट स्टीफन्स हास्पिटल, नई दिल्ली के संचालक एवं हड्‌डी रोग विशेषज्ञ डॉ मैथ्यू वर्गीज, प्लास्टिक सर्जरी विशेषज्ञ डॉ भारत रतन, नाक कान गला विशेषज्ञ डॉ सूजन जान डॉ सुपर्णा मुखर्जी, आर. बी. टी. बी. हॉस्पिटल,नई दिल्ली शामिल हुए। स्थानीय स्तर पर डॉ. के. के. कावरे, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल एवं डॉ मोहम्मद कैजर, संभावना ट्रस्ट क्लिनिक, भोपाल विशेष रूप से शामिल हुए।

परीक्षण शिविर चिंगारी ट्रस्ट के कार्यालय 44, संत कंवर राम नगर, बैरसिया रोड़ में आयोजित किया गया था।

बच्चों की खोज :–

गैस एवं भूजल प्रदूषण से प्रभावित बस्तियों में सूचना देकर जन्मजात विकलांग बच्चों की पहचान की गई। एक से दूसरे परिवार की जानकारी पूछते हुए लगभग 2 माह में 100 परिवारों में संपर्क किया जिनमें जन्मजात विकलांग बच्चे थे। इन परिवारों से एक जानकारी प्रपत्र भरवाया गया ।

बच्चों को शामिल करने के आधार :–

- बच्चे में पैदाइयशी विकलांगता हो।
- परीक्षण के समय उम्र 12 वर्ष या उससे कम हो।
- मां–पिता या इन दोनों मे कोई एक गैस प्रभावित हो।
- भूजल पीड़ित बस्ती में पानी का उपयोग करते हुए 2 साल बाद बच्चे का जन्म हुआ हो।
- बच्चा प्रभावित परिवार का है इसके लिये जन्म या स्कूल का प्रमाण पत्र हो।
- पानी पीड़ित होने के प्रमाण के लिये राशनकार्ड या पड़ौसी (जो गैस प्रभावित हो) के प्रमाण पत्र को मान्यता दी गई।

बच्चे :–

बस्तियों से 100 बच्चों की जानकारी प्राप्त हुई। जानकारी को जांचने पर पाया गया कि 12 बच्चे ऐसे थे जिनमें जन्मजात गंभीर विकलांगता नहीं है या जिन्होंने प्रभावित होने के प्रमाण नहीं दिये। अतः इन्हें

इस शिविर में नहीं बुलाया गया। 88 बच्चों को परीक्षण के लिये बुलाया गया जिनमें से 65 बच्चे शिविर में जांच के समय आये। शिविर में शामिल बच्चों की जानकारी इस प्रकार है –

	विकलांगता का प्रकार	जांच में शामिल	बालक	बालिका	गैस प्रभावित	भूजल प्रभावित	दोनों
1	आंख की समस्याएं	5	4	1	4	–	1
2	श्रवण–बाधित	15	7	8	14	1	–
3	शारीरिक विकलांगता	23	17	6	16	5	2
4	होंठ–तालू कटे हुए	8	2	6	4	2	2
5	मानसिक मंदता	9	6	3	9	–	–
6	दिल में छेद	2	1	1	1	–	1
7	अन्य ''	3	3	–	1	1	1
	योग	**65**	**40**	**25**	**49**	**9**	**7**

परीक्षण में पाई गई विकलांगता :–

1 आंख की समस्या – आंखों की समस्या वाले 10 बच्चों में से 5 बच्चे जांच के समय उपस्थित हुए। इनकी जांच भोपाल आई हास्पिटल, कबाड़खाना भोपाल में कराई गई। इन में सलमान (परिवार गैस एवं पानी से पीड़ित है।) की दोनों आंखे खराब होने से उसमें किसी प्रकार का इलाज नहीं हो सकता, उसको पुर्नवास की ट्रेनिंग देना होगा। 2 बच्चों का आप्रेशन करवाना होगा, 2 बच्चों को अन्य जांच करवाना होगा।

2. श्रवण–बाधित – 15 बच्चे जांच में शामिल हुए । 11 बच्चों को ऑडियोमिट्री जांच करवाना है और इनमें से 5 बच्चों को सुनने की मशीन लगाने के लिये कहा गया। आडियोमिट्री जांच के बाद इलाज की आवश्यकता का आंकलन होगा। एक बच्चे को स्पीच थेरेपी एवं 3 बच्चों को परामर्श (काउंसिलिंग) की सलाह दी गई।

3. शारीरिक विकलांगता – इस समूह में से 23 बच्चे जांच के समय उपस्थित हुए है जिनमें 17 बालक एवं 6 बालिकाएं थी । 16 परिवार गैस पीड़ित, 5 परिवार भूजल पीड़ित एवं 2 परिवार गैस–भूजल पीड़ित हैं। ये बच्चे 12 गैस पीड़ित एवं 6 पानी पीड़ित बस्तियों में से थे। इन 23 बच्चों में से पोलियो की वजह से एक बालक में ही विकलांगता पाई गई। शेष बच्चों में दिमागी क्षति (सेरिब्रल पाल्सी) की वजह से विकलांगता है। डॉ. मैथ्यू का कहना था कि यह असमान्य स्थिति है। यह संभव है कि बच्चों के शरीर में अलग–अलग स्तरों से पहुंचे जहर की वजह से यह विकलांगता हो। डॉ. मैथ्यू ने जोर देकर यह कहा कि चिकित्सकीय दृष्टि से नियमित अनुवांशिक शोध के बाद ही इलाज की दिशा तय हो सकती है अन्यथा आने वाली पीढ़ी में विकलांगता बढ़ती जायेगी जो लाइलाज होगी। जांच में 11 बच्चों को आप्रेशन करके कुछ हद

तक अपने काम के लिये सक्षम बनाया जा सकता है। शेष बच्चों में अन्य जांच कराने के लिये लिखा है।

4. होंठ–तालू कटे हुए – इस समूह में 8 बच्चों की जांच हुई। इनमें 2 बालिकाएं एवं 6 बालक थे। जिनमें से गैस प्रभावित परिवारों से 4 एवं 2 भूजल प्रभावित परिवारों से एवं 2 भूजल एवं गैस दोनों से प्रभावित परिवारों से है। इन बच्चों को प्लास्टिक सर्जरी द्वारा सामान्य किया जा सकता है। एक बालिका को विशेष प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता है।

5. मानसिक मंदता – इस समूह में 9 बच्चों की जांच हुई। इनमें 6 बालक एवं 3 बालिकाएं थीं। इन सभी बच्चों के परिवार गैस प्रभावित हैं जो 6 अलग–अलग बस्तियों से थे। इन बच्चों को पुनर्वास केंद्र में नियमित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। फिजियोथेरेपी और सहायक उपकरणों की आवश्यकता बताई गई है।

6. दिल में छेद एवं अन्य विकलांगता – दिल में छेद वाले 2 बच्चों के प्रारंभिक परीक्षण एवं जांच के पेपर्स के आधार पर डॉ मैथ्यू (जो सेंट स्टीफन हास्पिटल के संचालक भी हैं) ने 1 से 1.5 लाख रूपये तक का आप्रेशन में खर्च बताया है। एक बच्चे के सिर में गठान एवं एक छाती में गठान है इनको भी विशेष आप्रेशन की आवश्यकता है। इस समूह में 5 बच्चों की जांच हुई जिनमें 2 परिवार गैस पीड़ित, 1 परिवार पानी पीड़ित एवं 2 परिवार पानी–गैस पीड़ित है।

निष्कर्ष –

1. बच्चों में विकलांगता के कारणों को जानने के लिये चिकित्सकीय दृष्टि से गहन अनुवांशिक नियमित शोध होना चाहिये।
2. यूनियन कार्बाइड के जहरों का इलाज शोध आधारित होने पर ही ज्यादा प्रभावशाली होगा।
3. विकलांग बच्चों की आने–जाने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुर्नवास केंद्रों की स्थापना हो। अधिकांश बच्चों को लंबे समय तक प्रशिक्षण, परामर्श की आवश्यकता होगी। साथ ही इन बच्चों के परिवारों को भी परामर्श की आवश्यकता होगी।
4. बच्चों की विकलांगता की एक संभावित वजह यूनियन कार्बाइड के जहर है यह मानकर इनके इलाज की समुचित सुविधाएं गैस राहत अस्पतालों में की जाएं। चिकित्सकीय शोध में गैस कांड की वजह से अनुवांशिकता पर स्पष्ट असर पाया गया है। इसलिए यह बहुत संभव है कि जन्मजात विकृतियां गैस और प्रदूषित भूजल पीने से हो।
5. बच्चों को जहर पीड़ित मानते हुए उनके पुनर्वास एवं खासकर रोजी–रोटी का इंतजाम करने का दायित्व सरकार को लेना चाहिये। यह उल्लेखनीय है कि गैस एवं भूजल पीड़ित अधिकांश परिवार गरीब एवं मजदूरी करने वालें है। इन परिवारों में प्रतिदिन की कमाई नहीं की जाये तो जिंदा रहने का संकट बन जायेगा। अतः इन हालातों को देखते हुए इन बच्चों के सम्मानजनक पुनर्वास के लिये सरकार जिम्मेदारी ले और काम करें।

रशीदा बी
प्रबंधक न्यासी

चंपा देवी शुक्ला
प्रबंधक न्यासी